



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 203/2019 धारा- 450,376एबी भा०द०सं० व 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अखिलेश पुत्र बलवीर खँगार निवासी बिगहना, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को धारा- 450 भा०द०सं० व 04(2) पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



अभियोजक—
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
निरी० गिरेन्द्र पाल
सिंह



पैरोकार
थाना- सुमेरपुर
का० प्रेम सिंह